

नम्बर व ता
अहकाम
हुक्म की
जाशी हुये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
पीठासीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या
56 / 2022

जीसीएमएस
2022 /

दायर दिनांक
30.08.2022

निर्णय दिनांक
30.08.2022

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रार्थी

बनाम्

दाखा पत्नि कालूराम जाति बलाई निवासी पीथलपुर तहसील श्रीमाधोपुर वगै0


—अप्रार्थी

विविध प्रार्थना पत्र प्रचलित रास्ता अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व
अधिनियम 1956

—:: निर्णय ::—


भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक 2130/भू.
अभिलेख/ 2022 दिनांक 27.07.2022 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख
नियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, पटवारी हल्का पीथलपुर द्वारा
दिनांक 20.07.2022 को तैयार की गई फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट, अभिशंषा तहसीलदार
श्रीमाधोपुर एवं श्रीमान संयुक्त शासन सचिव महो., राजस्व (ग्रुप-6) जयपुर राजस्थान सरकार
का परिपत्र क्रमांक प.3 (2) राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 का ध्यानपूर्वक
अवलोकन व मनन किया गया। जिसके अनुसार तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम पीथलपुर के कृषि
भूमि खसरा नम्बर 634 रकबा 3.72 हैक्टर में से 325 वर्गमीटर, 638 रकबा 1.62 हैक्टर





30/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

260 वर्गमीटर, 647 रकबा 0.15 हैक्टर में से 250 वर्गमीटर में से जा रहे रास्ता जो मौके पर चालू रास्ता है एवं कच्चा रास्ता है जो गुढ़लावाला हनुमान जी से पीथलपुर जाने वाली सड़क का से भागमदास वाली ढाणी को खसरा नम्बर 634, 638 व 647 से होकर ग्रेवल रास्ता मौके पर चालू है का अंकन राजस्व अभिलेख में करवाने हेतु प्रस्ताव प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 एवं नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 का मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, उक्त खसरा नम्बरान में से जा रहे रास्ता हेतु पटवारी हल्का पीथलपुर की तैयार की गई फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.07.2022, ग्राम पंचायत पीथलपुर का प्रस्ताव संख्या 3 मीटिंग दिनांक 28.06.2022 एवं अभिशंषा रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्राप्त हुई है। संबंधित पटवारी हल्का पीथलपुर ने अपनी फर्द मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.07.2022 में तहसील श्रीमाधोपुर में ग्राम पीथलपुर की भूमि खसरा नम्बर 634 रकबा 3.72 हैक्टर में से 325 वर्गमीटर, 638 रकबा 1.62 हैक्टर में से 260 वर्गमीटर, 647 रकबा 0.15 हैक्टर में से 250 वर्गमीटर भूमि के मौके पर उपस्थित खातेदारों द्वारा सहमति प्रदान होने पर व सीमाज्ञान से संतुष्ट होने पर रास्ते का प्रस्ताव अलग से तैयार किया जाकर उक्त रास्ते को वर्तमान में चालू होकर सार्वजनिक हित में बताया गया है। इसके साथ ही तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित करने हेतु अपनी स्पष्ट अभिशंषा की है।


इस प्रकार यह विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 58, 59, 60, 66 व 86 राजस्थान भू अभिलेख नियम 1957 के तहत स्वीकार किये जाने योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि तहसील श्रीमाधोपुर के ग्राम पीथलपुर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 634 रकबा 3.72 हैक्टर में से 325 वर्गमीटर, 638 रकबा 1.62 हैक्टर


20/08/22
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

पर
क
र
में से 260 वर्गमीटर, 647 रकबा 0.15 हैक्टर में से 250 वर्गमीटर भूमि में जा रहे चालू रास्ते
का अंकन राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शों में वर्णितानुसार करावें एवं संलग्न नक्शा ट्रेस में
अंकित दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज किये
जाने एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमियों का लगान कम किये जाने के आदेश दिये
जाते हैं। गैर मुमकीन रास्ते की भूमि सम्बन्धित खातेदारान् के खाते में ही दर्ज रहेगी।
तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस को उक्त आदेश का भाग रहेंगे।
तहसीलदार श्रीमाधोपुर एक माह में पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करे।


(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 30.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर
खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)